

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स 106, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

यात्री बस हेतु अल्पकालीन ई-निविदा

क्रमांक / उ.दु.सं. / क्षे.सं. / बस परिवहन / ई-निविदा / 2023 / 193 / 11.01.2023

ई-निविदा ऑनलाईन वेब साईड <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा संबंधि विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु www.sanchidairy.com पर लॉगआन करें।


उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स 106, उज्जैन – 456010 (म.प्र.)

फोन नं. : (0734) 2527061, 2527068, 2527066

फेक्स नं. 0734-2527063

E-mail : ujjaindairy@gmail.com, udsfo123@gmail.com



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT



Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066
E-mail: fo_uds@sanchidairy.com,

क्रमांक / उ.दु.स / क्षे.सं. / 2023 / 193

दिनांक – 11.01.2023

यात्री बस हेतु अल्पकालीन ई-निविदा

कृषक भ्रमण हेतु वर्ष 2023-24 के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के कार्य क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से कृषकों को गुजरात/राजस्थान राज्य का 5 दिवसीय भ्रमण करावा कर पुनः उसी स्थान पर छोड़ने के लिए 52 सीटर (पुश बैक सीट सहित) लकजरी बस की आवश्यकता है। प्रत्येक ट्रीप की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर रहना संभावित है। बस मॉडल वर्ष 2018 अथवा उसके पश्चात् का अच्छी कण्डीशन का होना अनिवार्य है।

क्र.	विवरण
1.	बस प्रचलन विवरण
2.	ई-निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य
3.	अमानत राशि
4.	ई-निविदा प्रपत्र आनलाईन विक्रय प्रारंभ दिनांक एवं समय
5.	ई-निविदा प्रपत्र आनलाईन क्रय एवं अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय
6.	तकनीकी बीड आनलाईन रूप से खोलने की दिनांक एवं समय
7.	निविदा खोलने का स्थान

यात्री बस हेतु निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण (निविदा कार्यक्रम/अनुबंध की शर्तें/नियम) मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर देखी जा सकती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र पोर्टल <http://www.mptenders.gov.in> पर उपलब्ध है। डिजिटल साईन हेतु मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल से टोल फ्री नम्बर 18002588684 पर संपर्क करें। समस्त निविदाएँ या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

-:- यात्री बस परिवहन हेतु ई-निविदा पत्र -:-

फार्म-A

निविदाकार
का पासपोर्ट
साईज का
फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मकसी रोड, उज्जैन (म.प्र.)

विषय :- कृषकभ्रमण हेतु यात्री बस की दरें प्रति किमी. प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

“समाचार पत्र” में प्रकाशित ई-निविदा सूचना अनुसार कृषकभ्रमण कार्यक्रम हेतु वांछित यात्री बस परिवहन हेतु ई-निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे संघ की समस्त शर्तें मान्य हैं। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

1. बस ठेकेदार/फर्म का नाम पिता का नाम
2. वारिस का नाम उम्र वर्ष, संबंध
3. पूरा पता
4. दूरभाष नंबर मोबाईल नंबर
5. निविदा अमानत राशि रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) MP Tenders को ऑनलाईन जमा कर रेफरेंस नंबर अंकित हैं।
6. पेन (PAN) नंबर
7. वाहनों का विवरण -

क्रं.	वाहन सीट क्षमता	मॉडल वर्ष	वाहन पंजीयन क्रमांक
1			
2			
3			

महत्वपूर्ण सूचना :- फार्म A को पूर्ण रूप से भरकर MP Tenders में जमा राशि का रेफरेंस नंबर, वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन बीमा एवं फिटनेस प्रमाण पत्र की छायाप्रति ऑनलाईन ई-निविदा में जमा करें, अन्यथा प्रस्तुत ई-निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकार के नाम से वाहन पंजीकृत नहीं होने पर निविदा निरस्त की जावेगी।

हस्ताक्षर

निविदाकार/वाहन ठेकेदार

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
☀ बस ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु नियम एवं शर्तें ☀

1. कृषकभ्रमण हेतु :-

- A. भ्रमण हेतु बस प्रचालन उज्जैन/रतलाम/मंदसौर/मनासा/शामगढ/आगर/शाजापुर से प्रारंभ होकर प्रस्थान स्थल पर ही समाप्त होगी।
 - B. बस 52 सीट क्षमता (पुश बेक सीट हेण्डल रेस्ट सहित) लकजरी होगी।
 - C. भ्रमण कार्यक्रम लगभग 5 दिवसीय होगा।
 - D. भ्रमण अंतर्गत गुजरात राज्य के डाकोर जी, पावागढ, मेहसाणा, पालनपुर, अम्बाजी बहुचरा माताजी, चोटिल चौपाटी, द्वारका जी, भेट द्वारका, नागेश्वर, पोरबंदर, सोमनाथ, गिर जंगल, तुलसी श्याम, जूनागढ, गाँधीनगर एवं राजस्थान राज्य के जयपुर, सावंरीया जी, नाथद्वारा, आदि स्थान सम्मिलित रहेंगे।
 - E. भ्रमण की प्रतिट्रीप अनुमानित दूरी 1500 किलोमीटर अथवा कम/अधिक संभावित हो सकती है।
2. बस अच्छी कण्डीशन में होना आवश्यक है एवं बस का मॉडल वर्ष 2018 अथवा उसके पश्चात् का होना चाहिए एवं परिवहन दर स्वीकृत करने का मापदण्ड मात्र न्यूनतम दर न होकर बस का मॉडल एवं कण्डीशन होगा समिति द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर स्वीकृत करने के पूर्व बस का भौतिक सत्यापन किया जावेगा, तदानुसार परिवहन दर स्वीकृत की जावेगी। इसमें न्यूनतम परिवहन दर का बंधन नहीं होगा।
3. यात्रा के दौरान सभी वैधानिक प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। यात्रा के दौरान पुलिस/R.T.O या अन्य किसी विभाग व अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा वाहन रोकने की दशा में समस्त जिम्मेदारी निविदाकार बस मालिक की होगी।
4. बस मालिक द्वारा लायसेंस एवं प्रशिक्षित ड्रायवर एवं क्लीनर नियुक्त करना होंगे, जिनका व्यवहार उत्तम होना अनिवार्य है।
5. ई-निविदा में प्रस्तुत परिवहन दर प्रति किमी. समस्त टेक्स (जीएसटी/टोल/गुजरात/राजस्थान राज्य परमिट इत्यादि) एवं अन्य व्यय सहित दर्शायी जावे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा पृथक से नहीं किया जावेगा।
6. यात्रा की अवधि में बस के साथ दुग्ध संघ के एक या दो अधिकारी रहेंगे, जिनके निर्देशन में बस का संचालन किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भ्रमण कार्यक्रम माह जनवरी 2023 से किया जाना सम्भावित है एवं कृषकभ्रमण कार्यक्रम की ट्रिप संख्या लगभग 04 या उससे अधिक भी हो सकती है।
8. बस निर्धारित दिनांक एवं समय पर जहां अवगत कराया जावे, वहां से प्रारंभ होकर उसी स्थान पर समाप्त होगी। निर्धारित तिथि एवं समय पर बस नहीं पहुंचने की स्थिति में जमा अग्रिम/बयाना राशि राजसात कर ली जावेगी।

9. वाहन का माइलोमीटर यात्रा के दौरान चालू हालत में रहना चाहिये। यात्रा प्रारंभ एवं समाप्ति पर संघ के टीम लीडर द्वारा माइलोमीटर की रीडिंग ली जावेगी एवं उसी अनुरूप देयक तैयार किये जावेंगे।
10. यात्रा समाप्ति पर देयक 2 प्रतियों में टीम लीडर के सत्यापन सहित प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार शासकीय टैक्स का कटौती किया जाकर शेष राशि का भुगतान देयक प्राप्ति से 30 दिवस में किया जावेगा।
11. किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
12. ई-निविदा के साथ निविदा अमानत राशि रू. 10,000/- (रू. दस हजार मात्र) MP Tenders को ऑनलाईन जमा कर रेफरेंस नंबर देना अनिवार्य होगा।
13. ई-निविदा के साथ ऑनलाईन वाहन के पंजीयन, बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाण पत्र व पेनकार्ड की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य है।
14. ई-निविदा में प्राप्त न्यूनतम परिवहन दर पर यदि स्वीकृत निविदाकारों के कार्य करने से इंकार करने पर अन्य निविदाकार जो न्यूनतम दर पर वाहन चलाने के इच्छुक है तो उन्हें भी कार्य आवंटन किया जा सकेगा, जिसका पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकार, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन के पास सुरक्षित होगा।

दिनांक :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

दुग्ध संघ एवं बस परिवहन निविदाकार के मध्य किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप

निविदाकर्ता
का पासपोर्ट
साईज का
फोटो

1000/- रु. के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

// अनुबंध पत्र //

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को निष्पादित किया गया जिसका द्वितीय पक्ष निविदाकार श्री/श्रीमती पिता/पति निवासी एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती..... से है एवं प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ के कार्य क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से किसानों को गुजरात/राजस्थान राज्य का 5 दिवसीय भ्रमण कराकर पुनः उसी स्थान पर छोड़ने के लिए परिवहन करने हेतु द्वितीय पक्षकार बस का पंजीयन क्रमांकने प्रथम पक्षकार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन को निर्धारित समय पर आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार द्वारा इसके आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन स्वीकृत कर परिवहन दर रु. अक्षरी रु.प्रति किलोमीटर पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित नोटरी करवाकर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभयपक्षों को मान्य होगी।

1. अ- यह अनुबंध अवधि दिनांक 01.02.2023 से 30.04.2023 तक प्रभावशील रहेगी।
ब- अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात् 03 माह और अवधि बढ़ाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
2. भ्रमण हेतु बस प्रचालन उज्जैन/रतलाम/मंदसौर/मनासा/शामगढ/आगर/शाजापुर से प्रारंभ होकर प्रस्थान स्थल पर ही समाप्त होगी।
3. बस 52 सीट क्षमता (पुश बेक सीट हेण्डल रेस्ट सहित) लकजरी होगी।
4. भ्रमण कार्यक्रम लगभग 5 दिवसीय होगा।
5. भ्रमण अंतर्गत गुजरात राज्य के डाकोर जी, पावागढ, आणंद, मेहसाणा, पालनपुर, अम्बाजी बहुचरा माताजी, चोटिल चौपाटी, द्वारका जी, भेट द्वारका, नागेश्वर, पोरबंदर, सोमनाथ, गिर जंगल, तुलसी श्याम, जूनागढ, गाँधीनगर एवं राजस्थान राज्य के जयपुर, साँवरिया जी, नाथद्वारा आदि स्थान सम्मिलित रहेंगे।
6. भ्रमण की प्रतिद्वीप अनुमानित दूरी 1500 किलो मीटर अथवा कम/अधिक संभावित हो सकती है।
7. यात्रा के दौरान सभी वैधानिक प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। यात्रा के दौरान पुलिस/R.T.O या अन्य किसी विभाग व अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा वाहन रोकने की दशा में समस्त जिम्मेदारी निविदाकार बस मालिक की होगी।
8. बस मालिक द्वारा लयसेंसी एवं प्रशिक्षित ड्रायवर एवं क्लीनर नियुक्त करना होंगे, जिनका व्यवहार उत्तम होना अनिवार्य है।
9. ई-निविदा में प्रस्तुत परिवहन दर प्रति कि.मी. समस्त टेक्स (जीएसटी/टोल/अन्य राज्यों के परमिट व्यय इत्यादि) एवं अन्य व्यय सहित दर्शायी जावेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा पृथक से नहीं किया जावेगा।

10. यात्रा की अवधि में बस के साथ दुग्ध संघ के एक या दो अधिकारी रहेंगे, जिनके निर्देशन में बस का संचालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. भ्रमण कार्यक्रम माह फरवरी 2023 से किया जाना सम्भावित है एवं कृषकभ्रमण कार्यक्रम की ट्रिप संख्या लगभग 04 या उससे अधिक भी हो सकती है।
12. बस निर्धारित दिनांक एवं समय पर जहां अवगत कराया जावे, वहां से प्रारंभ होकर उसी स्थान पर समाप्त होगी। निर्धारित तिथि एवं समय पर बस नहीं पहुंचने की स्थिति में जमा अग्रिम/बयाना राशि राजसात कर ली जावेगी।
13. वाहन का मायलोमीटर यात्रा के दौरान चालू हालत में रहना चाहिये। यात्रा प्रारंभ एवं समाप्ति पर संघ के टीम लीडर द्वारा मायलोमीटर की रीडिंग ली जावेगी एवं उसी अनुरूप देयक तैयार किये जावेंगे।
14. यात्रा समाप्ति पर देयक 2 प्रतियों में टीम लीडर के सत्यापन सहित प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार शासकीय टैक्स का कटौती किया जाकर शेष राशि का भुगतान देयक प्राप्ति से 30 दिवस में किया जावेगा।
15. द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुमारी संबंध उम्र..... को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुमारी..... को संघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृती के वारिस के हस्ताक्षर करवाकर द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को देगा।
16. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनावये जावेंगे। व हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक भी रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश द्वितीय पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जावेगा।
17. स्थानीय, मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेंगे एवं उस राशि को शासकीय कोशालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का लेखा संख्या नंबर प्रथम पक्ष देगा।
18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन पूर्व की सूचना पर बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परंतु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारी के आवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जायेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में दुग्ध संघ को जो हानि होगी उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
19. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को अपना वाहन संचालित करना होगा।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न होवें।
21. यदि वाहन (बस) किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उससे होने वाली समस्त हानि की जिम्मेदारी (जिसमें यात्राकर्ता एवं रोड़ पर चलने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे) द्वितीय पक्षकार (वाहन मालिक) की रहेगी।

22. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्य क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

मैं, द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध शर्तों का अवलोकन भलीभांति एवं होशो हवास में कर लिया गया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता/करती हूँ।

प्रथम पक्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ,
मक्सी रोड, उज्जैन

अनुबंधकर्ता जमानतदार
1 हस्ताक्षर जमानतदार.....
नाम
पिता/पति का नाम
पता
दूरभाष/मोबाईल नं.
आई.डी. प्रूफ

2 हस्ताक्षर जमानतदार.....
नाम
पिता/पति का नाम
पता
दूरभाष/मोबाईल नं.
आई.डी. प्रूफ

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता.....
नाम
पिता/पति का नाम
पता
दूरभाष/मोबाईल नं.
पैन नं.(PAN)

अनुबंधकर्ता गवाह
1 हस्ताक्षर गवाह
नाम
पिता/पति का नाम
पता
दूरभाष/मोबाईल नं.
आई.डी. प्रूफ

2 हस्ताक्षर गवाह
नाम
पिता/पति का नाम
पता
दूरभाष/मोबाईल नं.
आई.डी. प्रूफ

नोट :- उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापित किया गया है।

प्रभारी प्रबंधक (क्षे.सं.)
दुग्ध संयंत्र उज्जैन
सील सहित

शपथ-पत्र (100.00 रू.) नोटरी द्वारा

उज्जैन दुग्ध संघ में मेरा कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नजदीकी रिश्तेदार नहीं है का शपथ पत्र का प्रारूप

नाम :- _____
पिता :- _____
उम्र :- _____
धंधा :- _____
निवासी :- _____

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरा कोई भी सगा संबंधि व रिश्तेदार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। जिसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

दिनांक –
स्थान – उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक –
स्थान – उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

शपथ-पत्र (100.00 रू.) नोटरी द्वारा

काली सूची (ब्लेक लिस्टेड) शपथ-पत्र का प्रारूप

नाम :- _____
पिता :- _____
उम्र :- _____
धंधा :- _____
निवासी :- _____

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था एवं अन्य दुग्ध संघों द्वारा मुझे ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) नहीं किया गया है। जिसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

शपथ-पत्र (100.00 रू.) नोटरी द्वारा

उत्तराधिकारी शपथ-पत्र का प्रारूप

नाम :- _____
पिता :- _____
उम्र :- _____
धंधा :- _____
निवासी :- _____

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं अपना वारिस श्री/श्रीमती संबंध उम्रको पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता हूँ। मेरी मृत्यु या मेरी पूर्ण अपंगता मैं श्री/श्रीमती को संघ से समस्त व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। जिसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

दिनांक -
स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक -
स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

परिशिष्ट— (ब)

दर निविदा प्रपत्र

(केवल ऑनलाईन अपलोड हेतु)

निविदाकर्ता का नाम/फर्म का नाम

क्रं.	वाहन का प्रकार	मात्रा	दर रु. प्रति कि.मी. (टोल टेक्स सहित)
01	यात्री बस (52 सीटर पुश बेक सीट सहित) लक्जरी (मॉडल वर्ष 2018 अथवा नवीनतम मान्य) वाहन हेतु दर प्रति किलोमीटर (टोल टेक्स सहित) के आधार पर प्रस्तुत की जाना है।	01	

दिनांक –

हस्ताक्षर

नाम _____

मो.न. _____